

FAMILY NAME		MRN
GIVEN NAME		<input type="checkbox"/> MALE <input type="checkbox"/> FEMALE
D.O.B. ____/____/____		M.O.
ADDRESS		
LOCATION / WARD		
COMPLETE ALL DETAILS OR AFFIX PATIENT LABEL HERE		

Facility:

YOUR RIGHTS AFTER A MENTAL HEALTH INQUIRY OR FOLLOWING A TRIBUNAL HEARING AFTER BREACHING A COMMUNITY TREATMENT ORDER (HINDI)

MENTAL HEALTH ACT 2007
Section 77

कथन - मानसिक स्वास्थ्य जाँच के बाद या सामुदायिक उपचार आदेश को तोड़ने के बाद होने वाली अधिकरण सुनवाई के बाद आपके अधिकार

Select relevant options and strike through any that are not applicable.

उपयुक्त विकल्पों का चयन करें और जो लागू नहीं हैं, उन्हें काट दें।

On/...../.....you attended a mental health inquiry at:

...../...../.....को आपने मानसिक स्वास्थ्य जाँच में भाग लिया:

(Name of declared mental health facility)

(घोषित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा का नाम)

OR

या

On/...../.....the Mental Health Review Tribunal reviewed you after a breach of a Community Treatment Order (CTO).

...../...../.....को मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने एक समुदायिक उपचार आदेश (सीटीओ)के उल्लंघन के बाद आपकी समीक्षा की।

The Mental Health Review Tribunal (the Tribunal) ordered that:

मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने आदेश दिया कि:

You be detained as an involuntary patient for further observation and/or treatment until/...../.....

आपको आगे के अवलोकन और / या उपचार के लिए एक अनैच्छिक रोगी के रूप में/...../.....तक हिरासत में रखा जा सकता है

Note: You must be released before this date if you no longer meet requirements for detention.

नोट: यदि आप अब हिरासत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपको इस तिथि से पहले रिहा कर दिया जाना चाहिए।

You be detained in the declared mental health facility until the end of your CTO (until/...../.....).

आपको अपने सीटीओ के अंत (...../...../.....) तक घोषित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में हिरासत में रखा जाएगा।

The NSW Trustee & Guardian manage your financial affairs.

NSW ट्रस्टी और संरक्षक आपके वित्तीय मामलों की देखभाल करेंगे।

To be completed by staff member who completed the form:

फ़ार्म पूरा करने वाले स्टाफ़ के सदस्य द्वारा भरा जाए:

Print name Signature.....

नाम लिखें..... हस्ताक्षर

Date/...../..... Designation Facility.....

दिनांक/...../..... पदनाम सुविधा का नाम

(Declared mental health facility)

(घोषित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा)

A copy of this form must be placed in the patient's health record.

इस फ़ार्म की एक प्रति मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए।

YOUR RIGHTS AFTER A MENTAL HEALTH INQUIRY OR FOLLOWING A TRIBUNAL HEARING AFTER BREACHING A COMMUNITY TREATMENT ORDER (HINDI)

SMR025.220



SMR025220

Holes Punched as per AS2828.1: 2019

BINDING MARGIN - NO WRITING

NH700738A 121021

FAMILY NAME		MRN
GIVEN NAME		<input type="checkbox"/> MALE <input type="checkbox"/> FEMALE
D.O.B. ____/____/____	M.O.	
ADDRESS		
YOUR RIGHTS AFTER A MENTAL HEALTH INQUIRY OR FOLLOWING A TRIBUNAL HEARING AFTER BREACHING A COMMUNITY TREATMENT ORDER (HINDI)		
LOCATION / WARD		
COMPLETE ALL DETAILS OR AFFIX PATIENT LABEL HERE		

एक घोषित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में हिरासत में लिए जाने पर आपके अधिकार

यदि ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि आपको घोषित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में हिरासत में रखा जाए, तो आप:

1. सुविधा से रिहा (डिस्चार्ज) होने के लिए कह सकते/सकती हैं

- आप उस सुविधा के चिकित्सा कर्मचारी से जो एक 'Authorised Medical Officer' (AMO) ('प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी' (एएमओ)) हो आपको रिहा करने के लिए कह सकते/सकती हैं
- आपके देखभालकर्ता (नामित देखभालकर्ता और / या प्रधान देखभाल प्रदाता) एएमओ को आपको सुविधा से रिहा करने के लिए कह सकते हैं। आपके देखभालकर्ता को एक लिखित बयान देने की आवश्यकता होगी कि आपके रिहा होने के बाद वे आपकी देखभाल करेंगे।

2. आप सुविधा से रिहा न करने के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते/सकती हैं

यदि कोई एएमओ आपके रिहा किए जाने के अनुरोध को अस्वीकार करता है, या निर्णय लेने में तीन (3) कार्य दिवसों से अधिक समय लेता है, तो आप या आपके देखभालकर्ता ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं।

यदि ट्रिब्यूनल आपकी अपील को खारिज कर देता है, तो आप Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) में अपील कर सकते हैं (अगला बिंदु देखें)।

3. Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) से आप सुविधा से रिहा करने के लिए कह सकते/सकती हैं

सुविधा से रिहा होने के लिए आप Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन किस प्रकार किया जाये, Law Access (लॉ एक्सेस) इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है।

4. स्वैच्छिक रोगी बनने के लिए कह सकते/सकती हैं

आप एएमओ से कह सकते/सकती हैं कि आपको एक स्वैच्छिक रोगी बनना है। यह केवल तभी किया जाएगा जब वे संतुष्ट हों कि आपको एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में उपचार से लाभ होगा।

एक वित्तीय प्रबंधन आदेश के तहत आपके अधिकार

यदि ट्रिब्यूनल एक वित्तीय प्रबंधन आदेश के तहत आपके वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए NSW Trustee & Guardian (एनएसडब्ल्यू ट्रस्टी और संरक्षक) की नियुक्ति करता है, तो आप:

- वित्तीय प्रबंधन आदेश को हटाने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते/सकती हैं

या

- या तो Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) या NSW Civil and Administrative Tribunal (एनएसडब्ल्यू सिविल और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल) से अपील कर सकते/सकती हैं

Law Access (लॉ एक्सेस) आपको यह जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकती है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे उपयुक्त है, और इसे कैसे किया जाए।



FAMILY NAME		MRN
GIVEN NAME		<input type="checkbox"/> MALE <input type="checkbox"/> FEMALE
D.O.B. ____/____/____		M.O.
ADDRESS		
YOUR RIGHTS AFTER A MENTAL HEALTH INQUIRY OR FOLLOWING A TRIBUNAL HEARING AFTER BREACHING A COMMUNITY TREATMENT ORDER (HINDI)		
LOCATION / WARD		
COMPLETE ALL DETAILS OR AFFIX PATIENT LABEL HERE		

आपकी अपील पर विचार जाने के दौरान आपको पूरे समय सभी कानूनी आदेशों का पालन करना चाहिए।

उपयोगी फ़ोन नंबर

Official Visitors Program (आधिकारिक आगंतुक कार्यक्रम) - 1800 208 218

जब आप एनएसडब्ल्यू मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2007 के तहत इलाज करा रहे/रही हैं तो आधिकारिक आगंतुक आपके अधिकारों का समर्थन करते हैं। यदि आपको मिल रही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में कोई चिंता है तो आप आधिकारिक आगंतुक से बात कर सकते हैं। वे अस्पताल में आपसे मुलाकात कर सकते हैं और यदि आप सीटीओ पर हैं तो भी आपकी मदद कर सकते हैं।

Law Access (लॉ एक्सेस) - 1300 888 529

यह सेवा Legal Aid NSW (एनएसडब्ल्यू कानूनी सहायता) का भाग है और मानसिक स्वास्थ्य कानून के बारे में निःशुल्क कानूनी जानकारी, सलाह और सहायता प्रदान करती है।

Mental Health Review Tribunal (मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा ट्रिब्यूनल) - 02 9816 5955

ट्रिब्यूनल मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच करता है, आदेश देता है और उनकी समीक्षा करता है, और मानसिक बीमारी वाले लोगों के उपचार और देखभाल के बारे में कुछ अपीलों की सुनवाई करता है।

NSW Trustee & Guardian (एनएसडब्ल्यू ट्रस्टी और संरक्षक) - 1300 364 103

The NSW Trustee & Guardian (एनएसडब्ल्यू ट्रस्टी और संरक्षक) एक स्वतंत्र कार्यकारी, प्रशासक, अटार्नी और ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। यह वित्तीय प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है और निजी वित्तीय प्रबंधकों को अधिकृत करता है और सलाह देता है।



SMR025220

Holes Punched as per AS2828.1: 2019
BINDING MARGIN - NO WRITING